दैनिक जागरण

परिवर्तन में कोई बुराई नहीं अगर यह सही दिशा में हो

फिर वही बेजा विरोध

तत्काल तीन तलाक की बुराई को रोकने के लिए लोकसभा में पेश मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक का कांग्रेस, जद-यू समेत कुछ अन्य दलों की ओर से विरोध किए जाने पर हैरानी नहीं। इन दलों ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इस मसले पर विरोध की राह पर ही चलना पसंद करेंगे। तत्काल तीन तलाक से संबंधित विधेयक का विरोध करने वाले दल यह तर्क दे रहे हैं कि आखिर एक सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कानून का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह इसलिए एक खोखला तर्क है कि अतीत में भारत ही नहीं, अन्य अनेक देश भी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए कानून का सहारा ले चुके हैं। क्या दहेज और बाल विवाह पर कानून नहीं बनाए गए? पता नहीं क्यों तत्काल तीन तलाक संबंधी विधेयक का विरोध कर रहे राजनीतिक दल यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि कुछ कुरीतियां ऐसी होती हैं जिन्हें रोकने के लिए कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। इन राजनीतिक दलों को इस तथ्य से परिचित होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल तीन तलाक को अवैध ठहरा दिए जाने के बाद भी इस तरह से तलाक देने का सिलसिला कायम है। क्या लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक झटके में तलाक देने के 229 मामले सामने आ चुके हैं? क्या यह अदालत की अवमानना के साथ विधि के शासन को चुनौती नहीं?

चिंताजनक केवल यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं की जा रही है, बल्कि यह भी है कि तत्काल तीन तलाक को दंडनीय अपराध ठहराने वाले अध्यादेश के बाद भी इसी तरह से तलाक देने का काम किया गया। एक आंकड़े के अनुसार उक्त अध्यादेश के बाद एक झटके में तलाक देने के 31 मामले सामने आ चुके हैं। स्पष्ट है कि ऐसे आंकड़ों के बाद यह दलील भी बहुत दमदार नहीं रह जाती कि आनन-फानन तलाक देकर पत्नी को छोड़ देने के मामलों में कमी आ रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो तत्काल तीन तलाक को कुरान सम्मत न मानते हुए भी यह चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस मामले में दखल न दे। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यकायक तलाक देने के मामले थमे नहीं। जब समाज किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध न दिखे तब फिर सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वह दंडात्मक उपायों का सहारा ले। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लाकर सरकार ने यही किया है। क्या इस विधेयक का विरोध कर रहे दल ऐसा कोई उपाय सुझा सकते हैं जिससे दंडात्मक प्रावधानों वाले कानून के बगैर इस सामाजिक बुराई को रोका जा सके? बेहतर हो कि वे यह समझें उनकी ओर से वही गलती की जा रही है जो शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार ने की थी।

दिनचर्या में हो योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के रांची के प्रभात तारा मैदान में योग प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह दर्शाता है कि योग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग अपनी सेहत को लेकर सजग हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव पारित होने के बाद जहां पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है, वहीं झारखंड में भी योग प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धुर्वा के इस मैदान में उमड़ी योगप्रेमियों की भीड़ से यह भी स्पष्ट हो गया है कि सभी को आयुष्मान बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए लोग योग को माध्यम बनाने को तैयार हैं। योग के प्रति यह आकर्षण और लगाव केवल खास दिवस पर ही नहीं होना चाहिए। यह दिनचर्या में शामिल हो, क्योंकि यह सेहत से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री ने भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में कहा कि योग से ही बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। उत्तम स्वास्थ्य से ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की लालसा होती है। निश्चित रूप से चिकित्सकों और अस्पतालों के खर्च काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में बीमारियों से बचाव में योग माध्यम बनता है तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ही लेना चाहिए। जहां तक झारखंड की बात है तो प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि झारखंड में योग शुरू से ही यहां की संस्कृति का हिस्सा रहा है। देश-विदेश में प्रचलित यहां छऊ नृत्य की शैली और मुद्राएं योग का आभास कराती हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि झारखंड के जनजातीय समुदाय अपने सांस्कृतिक एवं दैनिक जीवन में योग को अपनाए हुए हैं। यहां तक कि करमा, सरहुल जैसे त्योहारों में भी योग की झलक मिलती है। निश्चित रूप से योग प्रकृति से जुड़ा है और झारखंड प्रकृति का अनुपम उपहार है। ऐसे में यहां के गांव-गांव, हर वर्ग और समुदाय में आधुनिक योग की पहुंच यहां की संस्कृति को बचाने का भी काम करेगी। प्रधानमंत्री का दूरदराज के गांवों में भी योग को पहुंचाने का सपना तभी पूरा होगा जब योग की समझ विकसित करने के लिए साधन भी उन तक पहुंचेंगे।

कश्मीर में कुछ नया करने की जरूरत

सी उदयभास्कर

राजनीतिक दूरदर्शिता यही सुनिश्चित करने में निहित है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान तिरंगे में लिपटे सैनिकों के ताबूत सरकार की पहचान न बनने पाएं

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भले ही बीती 15 जून को यह कहा हो कि राज्य में आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं और हालात में 'काफी' सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत इससे उलट दिखती है। कुछ हालिया घटनाएं संकेत करती हैं कि हिंसा फिर से सिर उठा रही है। 17 जून को हिंसक वारदात में सेना के एक मेजर शहीद हो गए। इसके कुछ दिन पहले अनंतनाग में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हुए और कई घायल हो गए थे। राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर केतन शर्मा और सीआरपीएफ के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करके सुरक्षाकर्मियों की उस सूची में जगह बना ली जिनका जीवन उस छद्म युद्ध की भेंट चढ़ गया जिसका भारत जनवरी 1990 से ही सामना कर रहा है। जम्मू-कश्मीर इस जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इन आतंकी हमलों की भर्त्सना करते हुए राज्यपाल मलिक ने 20 जून को कहा, 'जब भी सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव कराने या आतंकियों का लगातार सफाया करने जैसे सफल अभियान चलाए जाते हैं तब सीमा पार बैठे आतंकियों के आका उन्हें फिदायीन हमले करने का हुक्म देते है और अनंतनाग जिले में हुआ हमला फिदायीन हमला ही था।' उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी और उनके आकाओं को यह पता होना चाहिए कि आतंक के इस उन्माद को खत्म करने का हमारा संकल्प दृढ़ है।

कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच एक अजीबोगरीब घटना भी सामने आई। 16 जून को दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के साथ एक सूचना साझा की जिसमें पुलवामा में आइईडी से लैस वाहन से धमाके की आशंका व्यक्त की गई थी। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल के जरिये दी गई थी। यह किसी विश्वसनीय स्रोत द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी नहीं थी।

जम्मू-कश्मीर में यह छद्म युद्ध तमाम अनमोल जिंदगियों को लील रहा है। इस साल के आंकड़े तो और चिंताजनक हैं। जनवरी से अब तक 62 सुरक्षाकर्मी आतंकी हिंसा के चलते अपना जीवन गंवा चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसमें नौ का इजाफा और हो चुका है जिससे यह आंकड़ा 71 तक पहुंच गया है। तमाम आम नागरिक भी इसकी तपिश झेल रहे हैं। इससे निपटने के लिए राज्यपाल मलिक ने जो हल सुझाया वह काफी महंगा साबित हो रहा है। याद दिला दें कि राज्य में 20 जून, 2018 को राज्यपाल शासन लगा जब पीडीपी-भाजपा का असहज गठबंधन टूट गया। छह महीनों के राज्यपाल शासन की अवधि के बाद यह राष्ट्रपति शासन में तब्दील हो गया। एक साल बीत गया, लेकिन राज्य में चुनाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे। स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया जस की तस शिथिल पड़ी हुई है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था कायम रहने के ही आसार हैं।

अक्टूबर, 1947 से ही कश्मीर मुद्दा पहेली की तरह उलझा हुआ है। भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्तों में यह लगातार अहम बना हुआ है। 1950 के दशक में नेहरू-अयूब खान से लेकर मोदी-इमरान खान के दौर में इस मोर्चे पर कुछ नहीं बदला। कश्मीर मुद्दा कई परतों में उलझा हुआ है। इसे भौगोलिक स्थिति, भू-राजनीतिक विशेषता और जनसांख्यिकी मिश्रण जैसे पहलुओं पर देखा जाता है। याद रहे कि यह इकलौता मुस्लिम बहुल राज्य था जो भारतीय संघ में शामिल हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तानी दोनों पहचानें समाहित हैं। विलय की संधि के तहत जहां इसे विशेष दर्जा हासिल है वहीं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे विशिष्ट स्वायत्तता भी मिली हुई है।

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी अगर राज्य की राजनीति को दिशा देती है तो दिल्ली-श्रीनगर के समीकरण राजनीतिक दिशा के मुख्य निर्धारक बनते हैं। पाकिस्तान बाहुबल से राज्य को हड़पने की कोशिशें करता रहा है। दो सीधे युद्धों में नाकाम होने के बाद उसने रणनीति बदलते हुए 1990 से राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद का रास्ता पकड़कर छद्म युद्ध शुरू कर दिया। 1999 का कारगिल भी इसमें शामिल है। फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा हमला तनातनी की हालिया मिसाल है। इसके बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमला किया। यह एक नया पड़ाव है। मोदी की दूसरी बार जबरदस्त जीत ने ऐसे मजबूत भारत की छवि बनाई है जिसकी कमान एक बहुत सशक्त एवं दृढ़ नेता के हाथ में है। चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों से मोदी ने यही धारणा बनाई कि किसी भी तरह के आतंकी हमले में भारत चुप होकर बैठने वाला नहीं। ऐसे में इस्लामाबाद में भारतीय मिशन को किया गया अज्ञात कॉल शायद पाकिस्तान की नई एहतियाती नीति का हिस्सा हो।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी पहलू से निपटना जटिल होगा और इसमें काफी समय भी लगेगा, क्योंकि चीन, अमेरिका, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और जिहादी धड़ों जैसी बाहरी ताकतें भी इसमें जुड़ी हैं। जम्मू-कश्मीर के घरेलू हालात में दिल्ली अहम कारक है और मोदी के पास भी 2014 की तुलना में ज्यादा राजनीतिक ताकत है। मोदी सरकार के लिए तात्कालिक चुनौती यही होगी कि वह एक जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को अभेद्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। अतीत में भी आतंकी इस वार्षिक धार्मिक आयोजन को निशाना बनाते रहे हैं। जुलाई 2017 में आतंकियों ने आठ श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी और उससे पहले 2000, 2001 और 2002 में और बड़े आतंकी हमले हुए थे। अमरनाथ यात्रा कश्मीर के बहुलतावाद एवं धार्मिक सौहार्द का प्रतीक रही है। स्थानीय मुस्लिम हिंदुओं के इस बड़े आयोजन को सुरक्षित रूप से संपन्न कराते रहे हैं। यह अफसोसजनक है कि कश्मीर की युवा आबादी केवल बीते ढाई दशकों के बुरे अनुभवों और भेदभाव से ही वाकिफ है। पिछले साल तो स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक परिवेश और भी शुष्क हो गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर भाजपा को जबरदस्त जनादेश दिलाया है। उनकी राजनीतिक विरासत के लिहाज से यह एक अहम मोड़ है। क्या वह वाजपेयी की राह पर चल सकते हैं जिसमें पहले तो स्थानीय कश्मीरी भावनाओं पर मरहम लगाया जाए और फिर उनमें आशंका और अलगाव के भाव को खत्म किया जाए। वह विधानसभा चुनावों का एलान करके शिथिल पड़ी घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया को प्रोत्साहन देंगे या फिर सुरक्षा बलों के दम पर सख्त रवैया अपनाएंगे और केवल आतंकवाद के दमन पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे? बाद वाले उपाय पर ध्यान देने से उन नरम और स्मार्ट कदमों की अनदेखी हो जाएगी जिनकी कश्मीर को सख्त जरूरत है।

साल की पहली छमाही में 71 सैनिकों की शहादत इस कड़वी हकीकत का प्रमाण है कि भारतीय सैनिकों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। राजनीतिक दूरदर्शिता यही सुनिश्चित करने में निहित है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान तिरंगे में लिपटे सैनिकों के ताबूत सरकार की पहचान न बनने पाएं।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एवं सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

सुधारों के इंतजार में कारागार

डॉ. वर्तिका नंदा

अगर हमारी जेलों की समूची व्यवस्था नहीं सुधरी तो उनमें कैद बंदियों में अपेक्षित सुधार कैसे ला पाएंगी?

भारत में जेलों की हालत क्या है, इसे देखने की फुरसत किसी के पास नहीं है। बंदियों के पास चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो शायद स्थितियां अलग होतीं। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए जेल की बुरी खबरें ही अक्सर सुर्खियां बनती हैं, जेल की जिंदगियां और उनकी गुजर-बसर नहीं। यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पुरुष कैदियों को जेलों में आउटडोर गेम्स खलने की काफी सुविधाएं मिल जाती हैं। वे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। उनके सामने बड़ा मैदान होता है, जबकि महिला बंदियों को छोटी-छोटी जगहों में बंद कर दिया जाता है। जहां किसी तरह की उनकी न्यूनतम सुविधाएं पूरी हो सकती हैं। भारतीय जेलें अभी तक इस विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाई हैं कि महिलाओं को जेल में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए खेलने की जरूरत भी पड़ सकती है। खेलों के मैदानों के न होने की वजह से महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पुरुष बंदियों को अक्सर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सहूलियत भी मिल जाती है। वे कई बार जेल स्टाफ के साथ अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं, जबकि महिला बंदियों के सामने इस तरह के विकल्प तकरीबन न के बराबर होते हैं। उन पर अलग तरह के नियम थोप दिए जाते हैं जो पहले से ही बनी उनकी परिस्थितियों को और भी बदतर बना देते हैं।

महिला बंदियों के लिए मैदान के मौजूद न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें इनडोर गेम्स खेलने की बेहतर सहूलियतें दी जाती हैं। बंदियों को न तो कारागारों के मैदान में खेलने की कोई सुविधा होती है और न ही बैरक में। जेलों प्रशासकों को उनके लिए ये जरूरतें बहुत ही गैर-जरूरी दिखाई देती हैं। यही वजह है कि जेल के बाहर भी हाशिये पर रहने वाली महिलाएं जब जेल के अंदर आती हैं तो उनके हाशिये और भी सिमट जाते हैं। महाराष्ट्र के एक जेल अधिकारी ने मुझे बताया कि उनके राज्य की एक जेल की महिला बंदियों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि उस जेल में महिलाओं का दायरा बेहद सीमित है और उनके सामने सिर्फ एक सफेद दीवार है। नतीजतन जो महिलाएं लंबे समय से बंदी हैं, उनकी नजर धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उनके सामने अब देखने के लिए सफेद रंग के अलावा और कोई रंग नहीं है। इस जेल में चलने की जगह का बेहद सीमित होना एक दूसरी दिक्कत है। उसका नतीजा यह हुआ है कि अब इन महिला बंदियों को चलने में भी समस्या होने लगी है। उनके घुटने जवाब देने लगे हैं। जेलों ने यह सोचा ही नहीं कि जो महिलाएं जेल के अंदर आई हैं, उन्हें चलने के लिए कुछ जगह की जरूरत भी हो सकती है।

जेल के अंदर का रख-रखाव जेल के अंदर बंदी ही करते हैं। बाहर से कोई नहीं आता। जेल में आने वाले बंदियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग भी हो सकती है, लेकिन जेलें कैदियों की संख्या और जरूरतों के मुताबिक अपनी बनी-बनाई संरचना में बदलाव पसंद नहीं करतीं। वहां ठहराव ही बना हुआ है।

जेल में आने वाले बंदी भी अलग-अलग अपराधों के तहत यहां पहुंचते हैं। इनमें कुछ विचाराधीन होते हैं, कुछ सजायाफ्ता। उनकी मानसिक परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसी तरह जेल अधिकारियों के कामकाज करने के रवैये से भी जेलों की संस्कृति बनती-बिगड़ती है। जेल के बंदी का सबसे अधिक वास्ता जेल के अधिकारी से ही पड़ता है। इसलिए भीड़ से लदी भारत की जेलों को सोचना होगा कि वे कैसे बंदियों के सकारात्मक रुझान बढ़ाएं। जेलें सृजन की दुनिया से परे एक अलग टापू की तरह संचालित होने की अपनी एक आदत बना चुकी हैं। वे बंदियों को परंपरागत तरह के कामकाज तो देती हैं, लेकिन नए बदलावों को आत्मसात करने में कोई जल्दी नहीं दिखातीं। देश की बड़ी संस्थाएं जिन्हें मानवाधिकार का काम सौंपा गया है वे भी न तो तत्परता के साथ आगे बढ़कर काम करने में कोई रुचि दिखती हैं और न ही किसी जेल के अच्छे काम को आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान होता है। एक तरफ भारत का समाज बंदियों को वापस अपने समाज में स्वीकार करने में हिचकता है ओर दूसरी तरफ वह यह भी चाहता है जो जेल में गया है वह पूरी तरह से एक सुधरे हुए इंसान की तरह लौट के आए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समाज अपनी भूमिका निभाने में कतराता है। अदालत से सजा मिलने की प्रक्रिया के दौरान जेल का काम इन लोगों के घावों पर मरहम लगाना या फिर उन्हें सुधार के रास्ते पर ले जाना होता है, लेकिन अगर जेलें खुद ही नहीं सुधरेंगी तो बंदियों को क्या सुधार पाएंगी? यह एक वाजिब सवाल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिखता।

(लेखिका जेल सुधार के लिए सक्रिय संगठन तिनका-तिनका की संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दायित्व

जब व्यक्ति नीति-अनीति, उचित-अनुचित तथा करणीय एवं अकरणीय का विचार छोड़कर केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही सब कुछ करने को तैयार हो जाता है तब विचारकों की दृष्टि से यह माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति लोलुप स्वभाव के चक्कर में फंस गया है और यह अब व्यक्ति के स्तर पर अथवा समाज के स्तर पर उपेक्षा का पात्र हो गया है। आज जब हम आंख उठाकर अपने चारों ओर देखते हैं तो अनेक ऐसे लोग भी लोलुप भाव से अपना जीवन जी रहे हैं, जिनसे समाज सदा शुचिता की दृष्टि पाता था और जो कभी अपने आदर्श जीवन के कारण समाज के अगुआ हुआ करते थे। शासक या नीति-निर्धारक, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, आचार्य और विरागी आदि समाज और देश के लिए सत्यनिष्ठा और समर्पित भाव से कार्य करें तो देश और समाज के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। सौभाग्यवश उपरोक्त क्षेत्रों से जुड़े अनेक लोग अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं, पर ऐसे कुछ लोग लोलुपता के जाल में फंस जाते हैं, तब जनता का नुकसान होता है और इससे पूरा समाज प्रभावित होता है।

आज की स्थिति यह है कि अनेक राजनीतिक दल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी जातिवाद का मुद्दा और कभी संप्रदायवाद का मुद्दा उठाकर इस देश को क्षति पहुंचा रहे हैं। चुनाव के समय में अनेक राजनीतिक दलों के लोग जनता के समक्ष ऐसी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे इनका पूरा का पूरा जीवन केवल समाज के लिए ही समर्पित है। अनेक अधिकारी भी आज की व्यवस्था में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इससे भी बहुत क्षति पहुंच रही है। एक वक्त था, जब शिक्षकों का आम तौर पर समाज में बहुत सम्मान था, सम्मान तो अब भी है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। यही बात समाज के अन्य वर्गों के नीति-निर्धारकों पर भी लागू होती है। किसी ऊंचे पद पर आसीन होना या किसी कल्याणकारी व्यवसाय से जुड़े होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो लोग समाज और देश के नीति-निर्धारक हैं, उनके आदर्श व्यक्तित्व से आम जनता को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसे नीति-निर्धारक जो कुछ करेंगे, उसका असर आम जनता पर पड़ेगा।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

तथ्य–कथ्य

लोकसभा सदस्यों की शिक्षा का स्तर

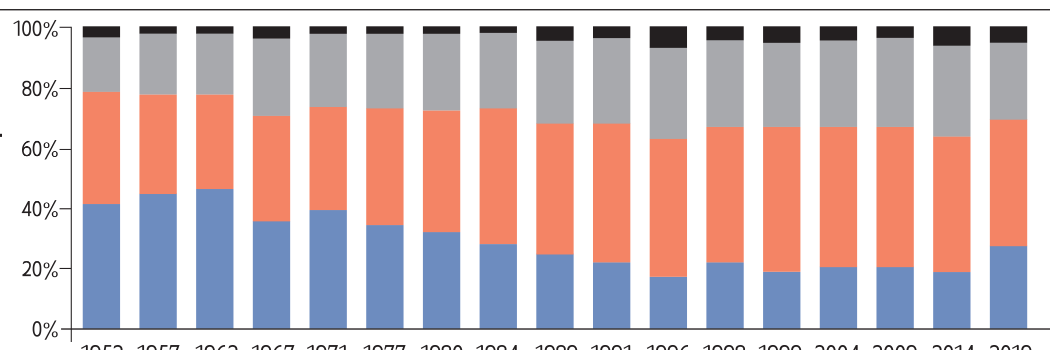

रोकना होगा इंटरनेट का दुरुपयोग

देवेंद्रराज सुथार

इंटरनेट आपकी कमजोरी न बने और अन्य रचनात्मक कार्यों की जगह न ले ले, इस पर ध्यान देना जरूरी है

हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता एवं ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ने इंटरनेट के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर करते हुए दुनियाभर की सरकारों को चिट्ठी लिखकर इसे रोकने के लिए एकजुट होने की बात कही है। सर टिम बर्नर्स का कहना कि यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो दुनिया के लिए बड़ी हार होगी। सच है कि इंटरनेट ने विश्व ग्राम की अवधारणा को मूर्त रूप देकर सूचनाओं का व्यापक तंत्र विकसित कर दुनिया को एक स्क्रीन पर लाने का काम किया है, लेकिन यह भी सच है कि इंटरनेट के दुरुपयोग ने हम
वैचारिक क्षमता, तारी स्वस्थ चिंतन प्रणाली,
र्क शक्ति का ह्रास कर हमें ओर गमन कर रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।

गौरतलब है कि दुनिया में 3.9 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 56 करोड़ यूजर्स हैं। इंटरनेट भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना 7.10 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है। हर साल औसतन 14 हजार करोड़
बाइल बिक रहे हैं। भारत में साइबर लत को मोकर किए गए एक सर्वे के अनुसार 18 से 30 लाल के बीच 5 में से 3 युवा ऐसे हैं, जो अपने स्मार्टफोन के बगैर इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे उनका कोई अंग गायब हो गया हो। इनमें 96 फीसद सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया पर जाते हैं। 70 फीसद युवाओं का कहना है कि वे ई-मेल और सोशल मीडिया को चेक किए बगैर जी नहीं सकते। दस देशों के 10,000 लोगों पर वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी एटी कियर्नी द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि 53 फीसद भारतीय हर घंटे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जो कि वैश्विक औसत 51 फीसद से ज्यादा है। इनमें 77 फीसद लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर रोजाना लॉगइन करते हैं। भारत में बेहद सस्ती दरों में उपलब्ध डाटा की वजह से कम आय वर्ग वाले लोगों के पास भी स्मार्टफोन उपलब्ध हैं जिसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग भी होने लगा है।

इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हर किसी के जीवन को बाधित कर रहा है। इसकी लत से लोग अधिक तनावपूर्ण, उदास और भ्रमित हो रहे हैं। इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग युवाओं की शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके शिकार युवा सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को भूल रहे हैं। वे सनकी और नर्वस हो गए हैं। इस संबंध में माता-पिता की भूमिका प्रभावी होनी चाहिए। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। इंटरनेट आपकी कमजोरी न बने और यह अन्य रचनात्मक कार्यों की जगह न ले ले, इस पर ध्यान देना जरूरी है। लिहाजा इंटरनेट इस्तेमाल करने के संबंध में कुछ स्वनिर्धारित नियम काम में लाए जा सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चित्त वृतियों का निरोध ही योग है

योग का उपयोग बढ़ाने की जरूरत शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. मोनिका शर्मा ने जिस योग की उपयोगिता को रेखांकित किया है, वह भारतीय जीवन शैली का प्रमुख अंग माना जाता है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अपने 'योग-सूत्र' नामक ग्रंथ में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' के रूप में योग को परिभाषित किया है। शरीर की अंतःक्रिया के तीन प्रमुख कारक माने गए हैं-मन अर्थात चित्त, बुद्धि और आत्मा। मनुष्य की चित्त वृत्तियां बुद्धि से परिचालित होती हैं। बुद्धि यदि विवेकशील है तो मन को सकारात्मक दिशा मिलती है और विवेकशून्य बुद्धि मन को नकारात्मक दिशा में प्रवृत्त करती है। योग साधना मन की इसी नकारात्मकता को नियंत्रित करती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग साधना के आठ अंग हैं। इस अष्टांग मार्ग से योग साधना में लीन होने वाला साधक ही ब्रह्म का साक्षात्कार करने में सफल हो पाता है। अलौकिक आनंद से युक्त आत्मानुभूति प्राप्त करने की यह अष्टांग योग साधना असाधारण योग साधकों के लिए है। सामान्य जीवन में तो इस अष्टांग मार्ग के दो अंग-आसन और प्राणायाम ही पर्याप्त हैं। यह आम धारणा है कि नियमित योग करने से शरीर निरोगी रहता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियों का कारगर निदान योग में निहित है, लेकिन अप्राकृतिक जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या और प्रदूषित खान-पान के चलते आम आदमी का शरीर अल्पायु में ही विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। जिसके कारण मनुष्य की औसत आयु 65 से 70 वर्ष के बीच रह गई है। यह विडंबना ही है घटती औसत आयु के प्रति लापरवाह भारतीयजन प्राकृतिक संसाधनों का न केवल बुरी तरह से दोहन कर रहे हैं, अपितु जीवन के प्रमुख आधार जल और वायु को प्रदूषित करने से भी बाज नहीं आ रहे। मनुष्य की इस स्वार्थी प्रवृत्ति पर चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाला योग ही अंकुश लगा सकता है। शायद इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी

दैनिक जागरण के 21 जून के अंक में प्रकाशित सुरेंद्र किशोर का लेख, हकीकत से मुंह मोड़ती कांग्रेस, में सही निष्कर्ष निकाला है कि दाग चेहरे पर है और कांग्रेस नेतृत्व आईना साफ करने में जुटा है। निरंतर पराजय से कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित है, लेकिन वह नेतृत्व के लिए परिवार से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। परिवारवाद कहिए या वंशवाद, इसकी नींव तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ही पड़ गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के असमय निधन के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस नेतृत्व के लिए पूरी तरह परिवार पर आश्रित हो गई थी। राजीव गांधी के निधन के बाद परिवारिक निष्ठा के कारण फिर कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी को सौंप दी गई। आज नेहरू-गांधी परिवार की विरासत को राहुल गांधी संभाल रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि आज तक ऐसा संयोग कभी नहीं हुआ कि किसी भी राजवंश में सभी उत्तराधिकारी योग्य ही हुए हों, जब भी कोई अयोग्य शासक आया तो सत्ता बिखर गई। आज कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। सक्षम नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस बिखराव की राह पर है। कांग्रेस पार्टी आज भी नेतृत्व के लिए परिवार की तरफ निहार रही है। अब उसकी उम्मीदें प्रियंका पर टिकी हैं, लेकिन प्रियंका भी लोकसभा चुनाव में कोई चमत्कार नहीं दिखा सकीं। वास्तविकता यह है कि कार्यकर्ता हमेशा मार्गदर्शन के लिए अपने नेतृत्व पर निर्भर रहता है। जय-पराजय के लिए नेतृत्व जिम्मेदार है। कांग्रेस की दुर्गति के लिए नेतृत्व ही जवाबदेह है, इसलिए कांग्रेस के उत्थान के लिए जरूरी है कि नेतृत्व अपनी कमियों का संज्ञान लेकर उसे दूर करे।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

लचर स्वास्थ्य सेवाएं

एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) पर पिछले 24 वर्षों में कोई खास शोध नहीं हुआ। यही कारण है इसकी रोकथाम के लिए किसी वैक्सीन को ईजाद नहीं किया जा सका। बिहार में हर साल इस बीमारी से तमाम बच्चे मौत के शिकार हो रहे हैं। इस समय राज्य के करीब 12 जिलों में यह बीमारी फैली हुई है। हम सुरक्षा मामलों में विश्व की चौथी महाशक्ति हैं और आर्थिक रूप से विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
लय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय धीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।